

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, अररिया/समस्तीपुर/सीतामढ़ी ।

पटना, दिनांक :- 17-7-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.17 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष 37-अनुग्रह अनुदान के तहत 0101.37.01 अनुग्रह अनुदान से जिला पदा. अररिया, श्रम अधी. समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी के क्रमशः पत्रांक-16, 474 एवं 424 दिनांक-25.5.17, 23.5.17 एवं 28.4.17 के आलोक में राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से सभी विमुक्त सामान्य श्रेणी के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए	विषयशीर्ष 21-सामग्री और आपूर्ति के तहत 0101.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ से जिला पदा. अररिया, श्रम अधी. समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी के क्रमशः पत्रांक-16, 474 एवं 424 दिनांक-25.5.17, 23.5.17 एवं 28.4.17 के आलोक में ₹. 1500/- 30 दिन के राशन एवं ₹. 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से सभी विमुक्त सामान्य श्रेणी के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
अररिया	02	20000	4000	24000
समस्तीपुर	01	10000	2000	12000
सीतामढ़ी	01	10000	2000	12000
	04	40000	8000	48000

कुल आवंटित राशि ₹ 48,000/- (₹ अड़तालीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- यह आवंटित राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं उन्हीं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाय जिन्हें इस योजना के तहत लाभांशित नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।


विश्वासभाजन,



(गोपाल मीणा)


श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/17 श्र0सं0:- 44 पटना, दिनांक 17-7-17  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0 44 पटना, दिनांक 17-7-17  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ \*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-181 एवं 182 (श्रमपक्ष) दोनों दिनांक-14.06.17 के आलोक में/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/17 श्र0सं0- 44 पटना, दिनांक 17-7-17  
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

\*स्पीड पोस्ट